



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन / शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या : 32-मा०सं०-01/वि०उ०नि०लि०/2015-6(42)-मा०सं०-01/2001

दिनांक : 01 जनवरी, 2015

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा डा० सुशील कुमार राय (एस-872), सेवानिवृत्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उत्पादन निगम लि० के अनपरा परियोजना चिकित्सालय को सुव्यवस्थित रूप से चलाये जाने एवं निगम कार्यहित में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दिनांक 30.06.2015 तक के लिये संविदा पर "परामर्शी (चिकित्सा)" के रूप में जोड़ित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। डा० सुशील कुमार राय के इस संविदा सेवा योजन की शर्तें एवं दशाएँ निम्नवत् होंगी:-

- i- परामर्शी (चिकित्सा) के रूप में कार्यों के सम्पादन हेतु निगमादेश सं० 5577-मा०सं०-01/विजनि०लि०/2014, दिनांक 29.12.2014 के अनुसार रू० 55,000/- (रू० पचपन हजार मात्र) एक मुश्त प्रतिमाह की दर से देय होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई पारिश्रमिक/भत्ता आदि अनुमन्य नहीं होगा। प्रतिबन्ध यह है कि परामर्शी (चिकित्सा) के रूप में देय मासिक एक मुश्त धनराशि इनकी सेवानिवृत्ति तिथि को देय वेतन (मूल वेतन+महंगाई भत्ता) में से प्राप्त योग्य पेंशन की धनराशि को घटाने के उपरान्त देय धनराशि से अधिक नहीं होगी।
- ii - यह मुख्य अभियन्ता एवं परियोजना समन्वयक, अनपरा; तापीय परियोजना के नियंत्रणाधीन संविदा पर कार्यरत होंगे तथा मुख्य अभियन्ता एवं परियोजना समन्वयक, अनपरा की सहमति/अनुमति से निगम के कार्यों हेतु बाहर की गयी यात्राओं हेतु नियमानुसार यात्रा-भत्ता अनुमन्य होगा।
- iii- वाहन एवं दूरभाष की सुविधा निगम में नियुक्त अधीक्षण अभियन्ता के समतुल्य प्रदान की जायेगी।
- iv- संविदा सेवा के दौरान निगमीय सी०यू०जी० सुविधा अनुमन्य होगी।
- v- परामर्शी (चिकित्सा) का मुख्यालय अनपरा रहेगा तथा कार्यों के सम्पादन हेतु बैठने का स्थान एवं अन्य कार्यालय सम्बन्धी आवश्यकताएँ मुख्य अभियन्ता एवं परियोजना समन्वयक, अनपरा तापीय परियोजना द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।
- vi- कार्यावधि के अन्तर्गत डा० सुशील कुमार राय को अनुमन्य समेकित राशि का भुगतान मुख्य अभियन्ता एवं परियोजना समन्वयक, अनपरा तापीय परियोजना स्तर से किया जायेगा।
- vii- डा० राय को अनुमन्य सेवानैवृत्तिक लाभ यथावत् मिलते रहेंगे।
- viii- इनकी संविदा सेवाओं को एक माह की पूर्व सूचना पर कमी भी समाप्त किया जा सकता है।

संजय प्रसाद
प्रबन्ध निदेशक

संख्या : 31(1)मा०सं०-01/वि०उ०नि०लि०/2015-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 2- निदेशक (कार्मिक/तकनीकी/वित्त), उ० प्र० रा० वि० उ० नि० लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
- 3- मुख्य अभियन्ता, ओबरा/अनपरा/हरदुआंग/पनकी/पारीछा तापीय विद्युत परियोजना, उ० प्र० रा० वि० उ० नि० लि०, ओबरा (सोनभद्र)/अनपरा (सोनभद्र)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी (कानपुर)/पारीछा (झाँसी)।

कमश: 2/-

- 4- मुख्य अभियन्ता, वाणिज्य/ईधन/आर एण्ड एम/जानपद/पीपीएमएम/पर्यावरण एवं सुरक्षा/तापीय परिचालन, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 5- अध्यक्ष, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 6- मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 7- कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 8- महाप्रबन्धक (लेखा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 9- मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टीसी/46वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010.
- 10- उप महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता, (मा०सं०-01/02/03/04/05/06)/रिफॉर्म/तापीय परिचालन इकाई/टाण्डा वाईडिंग सेल/प्रशिक्षण, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 11- लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 12- मुख्य प्रबन्धक (कैश प्रबन्धन इकाई); उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 13- श्रीमती पूनम मिश्रा, सहायक अभियन्ता (डाटाबेस), सम्बद्ध उप महाप्रबन्धक (मा०सं०-01), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 14- अनुभाग अधिकारी (मा०सं०-06), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 15- सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाईल।

आज्ञा से,


(सैय्यद यूसुफ हसन)
अनु सचिव